न्यायालय नायब तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

सरकार जरिये पटवारी हल्का बुडकिया — श्री जसनाथ पुत्र श्री अणदनाथ निवासी बुड़किया

अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट

मुकदमा नम्बर 03 / 2019

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91

—:निर्णयः—

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली बमुकाम भोपालगढ पेश हुई। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब कर बाद तामील प्राप्त किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल स्वयं उपस्थित। सायल पटवारी हल्का बुड़किया ने अपने बयानों में गैर सायल द्वारा राजस्व ग्राम बुड़किया के खसरा नम्बर 283, रकबा 00.00.12 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि पर अवैद्य कब्जा करना बताया। गैर सायल ने अपना अतिक्रमण स्वीकार किया कर स्वयं के स्तर पर हटा लेने हेतु कहा तथा लिखित में कोई जबाब प्रस्तुत नही किया। उभयपक्षों के साक्ष्य / सबूतों / जबाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया, जिसमें अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गैर सायल श्री अमरनाथ पुत्र श्री जसनाथ जाति नाथ निवासी बुड़किया ने ग्राम बुड़किया के खसरा नम्बर 283, रकबा 00.00.12 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि पर बिना किसी विधिक अधिकार एवं स्वामित्व के जबरन अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जिसके लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के अधीन गैर सायल श्री जसनाथ को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं अतिक्रमित क्षेत्र में पड़ी सामग्री को बहक सरकार कुर्क कर निलाम करने के साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.015 प्रति वर्ष का पचास गुणा कुल रूपये 01/– अक्षरे एक रूपया मात्र बतौर जुर्माना से दण्डित करते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की पालना में पटवारी हल्का बुड़किया को अतिक्रमित क्षेत्र में पड़ी सामग्री को बहक सरकार कुर्क कर निलाम करने एवं जुर्माना की मांग कायमी के लिए टी.आर.ए. कार्यालय हाजा एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो। पत्राबली बाद निर्णय पालना फैसल शुमार होकर दाखील दफ्तर हो।

13/6

नायब तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे निर्देशन में कम्प्यूटर से टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6

नायब तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर